संख्या–1079/तीस–3–10–18बी/06टीसी

प्रेषक,

शिवानन्द ओझा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 18 मई 2010

विषयः–उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हाथरस के वाह्य विद्युत संयोजन हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या–823ए/2000–टीकवर/ए/04 दिनांक 9–6–2009 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हाथरस के वाह्य विद्युत संयोजन हेतु अतिरिक्त धनराशि रू0–2,89,539/–के स्वीकृति किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–2876/30–3–07–18बी/06टीसी दिनांक 28–9–2007 द्वारा उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हाथरस के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन के आधार पर कुल धनराशि रू0 86.57 लाख (रूपये छियासी लाख सत्तावन हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2007–08 में अवशेष धनराशि 44.60 लाख (रू0 चवालीस लाख साठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। जिसमें वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू0–01.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) की व्यवस्था की गयी थी। प्रयोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग द्वारा वाह्य विद्युत संयोजन हेतु अनुमोदित लागत धनराशि रू0–3,89,539.00 (रूपये तीन लाख नवासी हजार पांच सौ उनतालीस मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ अवशेष वास्तविक धनराशि रू0–2,89,539.00(रूपये दो लाख नवासी हजार पांच सौ उनतालीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– उक्त आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0 आदि खाते में जमा नही की जायेगी तथा विद्युत विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई रसीद के आधार पर विद्युत संयोजन मद की धनराशि रू0 3,89,539.00 का भुगतान वास्तविकता के आधार पर किया।

4– स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय विवरण प्रपत्र–बी0एम–13 में व्यय के पश्चात तत्काल वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनुभाग–9 एवं परिवहन अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–1176/10–2002–238/2002 दिनांक 13–9–2002 तथा अर्द्ध शा0 पत्र संख्या–बी–1–3032/1033–2002 दिनांक 28–8–2002 में दिये

गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर इस सम्बन्ध में दिये गये अन्य निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–43 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–01–कार्यालय भवन–051–निर्माण–03–संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालय का निर्माण–24–बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6– उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्राप्त कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग की अ0शा0 संख्या–ई–9–223/दस/10 दिनांक 3–5–2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिवानन्द ओझा)
विशेष सचिव।

संख्या–1039(1)/तीस–3–10 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4– वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय लखनऊ।
5– जिलाधिकारी हाथरस।
6– सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी हाथरस।
7– संबंधित कार्यदायी संस्था (द्वारा परिवहन आयुक्त)
8– नियोजन अनुभाग–4
9– वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनुभाग–9
10– निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, लखनऊ।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप एन0 अवस्थी)
उप सचिव।